रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29072021-228551
CG-DL-W-29072021-228551

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, जुलाई 18—जुलाई 24, 2021, शनिवार / आषाढ़ 27—श्रावण 2, 1943
No. 16] NEW DELHI, JULY 18– JULY 24, 2021, SATURDAY / ASHADHA 27 – SRAVANA 2, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

आ.अ. 197.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट सं ईसीआई/पीएन/67/2020 के तहत **33-बरोदा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन, 2020 विधान सभा की घोषणा की गई थी और

यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है, और

यतः, **33-बरोदा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी, और

यत; जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामफल शर्मा,** जो हरियाणा के **33-बरोदा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, विधि द्वारा यथापेक्षितरीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रामफल शर्मा को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 24 फरवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/ हरि-विस. /33/उप-निर्वा0/ 2021 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री रामफल शर्मा** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनो के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी,सोनीपत को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत ने बताया है कि श्री रामफल शर्मा को उक्त नोटिस दिनांक 13 अप्रैल, 2021 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत, हरियाणा ने दिनांक 18 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **श्री रामफल शर्मा** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवित रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **श्री रामफल शर्मा** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित् लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है, और

(ख) उसके पास इस विफलता को कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित रहेगा,

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रामफल शर्मा** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अत: अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि हरियाणा राज्य की विधानसभा के उप-निर्वाचन, 2020 के **33-बरोदा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी **श्री रामफल शर्मा, गांव उरलाना कलां, तहसील मतलोड़ा, जिला पानीपत, हरियाणा** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होगें।

[फा. सं. 76/ हरि-वि.स. /33 / उप-निर्वा0 / 2021]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 19th July, 2021

O.N. 197.—WHEREAS, the Bye-Election to the Legislative Assembly of Haryana 2020 for **33-Baroda** Assembly Constituency was announced by the Election Commission of India vide **Press Note** No ECI/PN/67/2020 dated 29.09.2020; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **33--Baroda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 10th November, 2020 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020; and

WHEREAS, as per the report dated 14th December, 2020 submitted by the District Election Officer, Sonipat District, **Ramphal Sharma,** a contesting candidate from **33- Baroda** Assembly Constituency of Haryana, 2020 has failed to lodge account of Election Expenses as required by law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show Cause Notice No. 76/HR-LA/33/Bye-elec./2021 dated **24th February, 2021**was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ramphal Sharma** for not lodging of accounts of Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ramphal Sharma** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging of accounts and also to lodge complete accounts of election expenses to the District Election Officer, Sonipat within 20 days from the date of receipt of the notice, and

WHEREAS, the District Election Officer, Sonipat, Haryana, has reported that the said notice was served to **Ramphal Sharma on 13th April, 2021;** and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sonipat, Haryana** in his supplementary report dated 18th June, 2021 reported that **Ramphal Sharma** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice **Ramphal Sharma** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides

that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Ramphal Sharma** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ramphal Sharma,** resident of **Vill. Urlana Kalan, Tehsil Madlauda, Panipat, Haryana** and a contesting candidate from for the Bye-Election to the Legislative Assembly of Haryana 2020 from **33--Baroda** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/HR-LA/33/Bye -Elec./2021]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

आ.अ. 198.— यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा**, झारखण्ड द्वारा दिनांक 28 जनवरी, **2020** के पत्र सं **368/आ0व्य0ले0को0** द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार श्री शिव कुमार उराँव, जो झारखण्ड के 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शिव कुमार उराँव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **04** मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शिव कुमार उराँव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री शिव कुमार उराँव **के पुत्र** द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** द्वारा अपने दिनांक 26 मार्च, 2021 के पत्र सं0 168/**निर्वा०** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** द्वारा अपने दिनांक 01 जून, 2021 के पत्र सं0 238/**जि०निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शिव कुमार उराँव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शिव कुमार उराँव निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री शिव कुमार उराँव, वार्ड नं–4, ग्राम– भोजपुर, पोस्ट– भोजपुर, थाना–नगर उंटारी, जिला– गढ़वा, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/81/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2021

O. N. 198.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **368/आ0व्य0ले0को0** dated **28th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Garhwa** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Shiv Kumar Uraon,** an **Independent** contesting candidate from **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Garhwa**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice, dated **4th March, 2021** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Shiv Kumar Uraon** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **4th March, 2021**, **Sh. Shiv Kumar Uraon**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Son of Sh. Shiv Kumar Uraon**, on **18th March, 2021.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Garhwa** vide his letter No. 168/**निर्वा० dated 26th March, 2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Garhwa** vide his letter 238/ **जि०निर्वा० dated 1st June, 2021** it has been stated that **Sh. Shiv Kumar Uraon** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Shiv Kumar Uraon**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Shiv Kumar Uraon, Ward No.4, Vill- Bhojpur, Post-Bhojpur, Police Station-Nagar Untari, Dist- Garhwa, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency of the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. JKD-LA/ES-I/81/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

आ.अ. 199.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा**, झारखण्ड द्वारा दिनांक 28 जनवरी, **2020** के पत्र सं **368/आ0व्य0ले0को0** द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **श्री राम लाल दिनकर,** जो झारखण्ड के 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राम लाल दिनकर** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **04** मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री राम लाल दिनकर** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री राम लाल दिनकर** द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** द्वारा अपने दिनांक 26 मार्च, 2021 के पत्र सं0 168/**निर्वा०** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** द्वारा अपने दिनांक 01 जून, 2021 के पत्र सं0 238/**जि०निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री राम लाल दिनकर** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राम लाल दिनकर** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री राम लाल दिनकर, ग्रा–ताली, पो**0**– परसोडीह, थाना– केतार, जिला– गढ़वा, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/81/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2021

O.N. 199.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **368/आ0व्य0ले0को0** dated **28th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Garhwa** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Ram Lal Dinkar,** an **Independent** contesting candidate from **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Garhwa**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice dated **4th March, 2021** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Ram Lal Dinkar** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **4th March, 2021**, **Sh. Ram Lal Dinkar**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS,the said notice was received by **Sh. Ram Lal Dinkar**, on **18th March, 2021.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Garhwa** vide his letter No. 168/**निर्वा० dated 26th March, 2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Garhwa** vide his letter 238/**जि०निर्वा० dated 1st June, 2021,** it has been stated that **Sh. Ram Lal Dinkar** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Ram Lal Dinkar**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ram Lal Dinkar, Vill- Tali, Post- Parsodih, PS- Ketar Dist- Garhwa, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency of the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. JKD-LA/ES-I/81/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

आ.अ. 200.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा**, झारखण्ड द्वारा दिनांक 28 जनवरी, **2020** के पत्र सं **368/आ0व्य0ले0को0** द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **श्री भानु राम,** जो झारखण्ड के 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री भानु राम** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **04** मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री भानु राम** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री भानु राम कि नतनी** द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** द्वारा अपने दिनांक 26 मार्च, 2021 के पत्र सं0 168/ **निर्वा०** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गढ़वा** द्वारा अपने दिनांक 01 जून, 2021 के पत्र सं0 238/ **जि०निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री भानु राम** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री भानु राम** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 81–भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री भानु राम, सा0–पुरैनी, पो0–नगर उंटारी, थाना–नगर उंटारी, जिला–गढ़वा, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/81/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2021

O.N. 200.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. 368/आ0व्य0ले0को0 dated **28th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Garhwa** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Bhanu Ram,** an **Independent** contesting candidate from **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Garhwa**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice dated **4th March, 2021** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Bhanu Ram** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **4th March, 2021**, **Sh. Bhanu Ram**,was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Grand Daughter of Sh. Bhanu Ram**, on **18th March, 2021.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Garhwa** vide his letter No. 168/निर्वा. **dated 26th March, 2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Garhwa** vide his letter 238/जि०निर्वा. **dated 1st June, 2021,** it has been stated that **Sh. Bhanu Ram** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he his furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Bhanu Ram**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhanu Ram**, resident of **Village- At. Puraini, Post- Nagar Untari, PS- Nagar Untari, Dist- Garhwa, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **81-Bhawanathpur Assembly** Constituency of the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.JKD-LA/ES-I/81/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

आ.अ. 201.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक **25** जनवरी, **2020** के पत्र सं **42**/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जनवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुन्दर लाल मराण्डी, जो झारखण्ड के 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग झारखण्ड़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुन्दर लाल मराण्डी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 8 जुलाई, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुन्दर लाल मराण्डी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुन्दर लाल मराण्डी द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक 14 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 329/निर्वा. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक **15 अक्टूबर 2020** के पत्र सं0 **361/निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुन्दर लाल मराण्डी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुन्दर लाल मराण्डी निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री सुन्दर लाल मराण्डी, म**0**स**0**–**54**, ग्राम + पो– दिगवार, थाना चुरचू, जिला– हजारीबाग, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/24//2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2021

O.N. 201.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Mandu Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **42/निर्वा** dated **25th Jan, 2020** submitted by the District Election Officer, **Hazaribagh** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Sundar Lal Marandi,** an **Independent** contesting candidate from **24-Mandu Assembly** Constituency in Jharkhand, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Hazaribagh**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated **8th July 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Sundar Lal Marandi** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **8th July 2020**, **Sh. Sundar Lal Marandi** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Sundar Lal Marandi** on **02nd September, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter 329/निर्वा. **dated 14th September, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter No. **361**/निवा० dated **15th October, 2020,** it has been stated that **Sh. Sundar Lal Marandi** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Sundar Lal Marandi** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order"

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Sundar Lal Marandi**, resident of **H.No-54, Village+Post-Digwar, P.S-Churchu, Dist. Hazaribag, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **24-Mandu Assembly** Constituency in the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.JKD-LA/ES-I/24/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

आ.अ. 202.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक **25** जनवरी, **2020** के पत्र सं **42**/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जनवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सुश्री सजदा खातुन, जो झारखण्ड के 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) की अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए सुश्री सजदा खातुन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 8 जुलाई, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए सुश्री सजदा खातुन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस सुश्री सजदा खातुन द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक 14 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 329/निर्वा.. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक **15 अक्टूबर 2020** के पत्र सं0 **361/निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुश्री सजदा खातुन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री सजदा खातुन निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) की अभ्यर्थी सुश्री सजदा खातुन, ग्राम–चरनखिया, पो0–नवादा, थाना–विष्णुगढ, जिला–हजारीबाग, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/24//2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2021

O.N. 202.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Mandu Assembly** Constituency on in the Jharkhand State **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **42/निर्वा** dated **25th Jan, 2020** submitted by the District Election Officer, **Hazaribagh** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Ms. Sajada Khatoon,** a contesting candidate of **Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)** from **24-Mandu Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of her election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Hazaribagh**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated **8th July 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Ms. Sajada Khatoon** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **8th July 2020**, **Ms. Sajada Khatoon** was directed to submit her representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Ms. Sajada Khatoon** on **25th August, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter No. 329/निर्वा. **dated 14th September, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter No. 361/निर्वा. **dated 15th October, 2020,** it has been stated that **Ms. Sajada Khatoon** has not submitted any representation or her account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, she has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Ms. Sajada Khatoon** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order"

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Ms. Sajada Khatoon**, resident of **Vill-Charnakhiya, PO-Nawada, PS-Bishnugarh, Dist- Hazaribagh, Jharkhand** and a contesting candidate of **Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)** for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **24-Mandu Assembly** Constituency in the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.JKD-LA/ES-I/24/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

आ.अ. 203.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक **25** जनवरी, **2020** के पत्र सं **42**/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती बबीता देवी, जो झारखण्ड के 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने **वाली** झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान) **की** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल **रही** हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती बबीता देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 8 जुलाई, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती बबीता देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती बबीता देवी द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक 14 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 329/निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक **15 अक्टूबर 2020** के पत्र सं0 **361/निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती बबीता देवी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती बबीता देवी निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल **रही** हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 24–माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने **वाली** झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान) **की** अभ्यर्थी श्रीमती बबीता देवी, ग्राम–सी.सी.एल.सोंदा, पो0–भुरकुण्डा बाजार, थाना–भुरकुण्डा, जिला–रामगढ़, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/24/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2021

O.N. 203.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Mandu Assembly** Constituency on in the Jharkhand State **23rd December, 2019.**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **42/निर्वा** dated **25th Jan, 2020** submitted by the District Election Officer, **Hazaribagh** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.**01/fuokZ&bZ-bZ-,e&dks0-42/2019/201**, dated **3rd February, 2020 Smt. Babita Devi,** a **contesting** candidate of **Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)** from **24-Mandu Assembly** Constituency of Jharkhand, has failed to lodge any account of her election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Hazaribagh**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated **8th July 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to **Smt. Babita Devi** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **8th July 2020**, **Smt. Babita Devi** was directed to submit her representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Smt. Babita Devi** on **27th August, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter No. **329/निर्वा- dated 14th September, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter No. **361/निवा०** dated **15th October, 2020,** it has been stated that **Smt. Babita Devi** has not submitted any representation or her account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, she has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Babita Devi** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order"

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Smt. Babita Devi**, resident of **Village- C.C.L. Sonda, Post- Bhurkunda Bazar, PS-Bhurkunda, Dist. Ramgarh, Jharkhand** and a contesting candidate of **Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)** for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **24-Mandu** Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.JKD-LA/ES-I/24/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.29 15:15:10 +05'30'